न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-133RAAJodhpur2022-80RTA225 gumansingh ors Vs Jethusingh etc

01. गुमानसिंह पुत्र खींवसिंह
02. मुकनसिंह पुत्र केनसिंह
03. नखतसिंह पुत्र केनसिंह
04. जेठूसिंह पुत्र अखेसिंह
05. मोहनसिंह पुत्र अखेसिंह
06. मगसिंह पुत्र सुल्तानसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण– ग्राम अखाधना, तहसील बाप, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. जेठूसिंह गोद पुत्र अखेसिंह
02. सांगसिंह पुत्र सुजानसिंह
03. भैरूसिंह पुत्र सुजानसिंह
04. पुंजराजसिंह पुत्र सुजानसिंह
05. देवीसिंह पुत्र सुजानसिंह
06. भोमसिंह पुत्र इशरसिंह
07. उम्मेदसिंह पुत्र इशरसिंह
08. भंवरसिंह पुत्र भोमसिंह
09. चन्द्रकंवर पत्नी भोमसिंह पिता इशरसिंह
10. अभुकंवर पत्नी मगसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण– ग्राम शेखासर, तहीसल बाप, जिला फलोदी।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 16 मार्च 2022 सहायक कलक्टर बाप राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 66/2020 जेठूसिंह व अन्य बनाम भोमसिंह इत्यादि

उपस्थित–

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या ग्यारह

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 28 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 66/2020 अनवान जेठूसिंह व अन्य बनाम भोमसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 मार्च 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 11 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स संख्या एक से पांच ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 139 रकबा 46.01 बीघा, खसरा नं. 157 रकबा 50.04 बीघा, खसरा नं. 158 रकबा 07.08 बीघा, खसरा नं. 159 रकबा 86.01 बीघा, खसरा नं. 830 रकबा 10.08 बीघा ग्राम शेखासर तहसील बाप के संबंध धारा 88, 53 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मार्च 2022 अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेंट संख्या सात से पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये सद्भाविक क्रेता एवं रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। प्रत्यर्थीगण द्वारा विशेष भू–भाग की घोषणा एवं बंटवाड़े की इस्तदुआ चाही गई है जो अपास्त योग्य है। आलौच्य आदेश की आड़ में रेस्पोडेंट्स अपीलांट्स को उनकी खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 मार्च 2022 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट को अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 20.04.2022 के जरिये अपीलांट्स को अपनी खरीदसुंदा भूमि के नामांतरकरण की छूट प्रदान की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट को अपीलाधीन आदेश से पाबंद किया जावे एवं अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात का सद्भाविक क्रेता एवं रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 20.04.2022 के जरिये अपीलांट्स को ग्राम अखाधाना के खसरा नं. 830 रकबा 10.08 बीघा में सें रकबा 2.17¾ बीघा खरीदसुदा भूमि के नामांतरकरण भरे जाने की छूट प्रदान की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा चाहा गया त्वरित अनुतोष प्रदान कर दिये जाने से अब वादग्रस्त आराजी को सरंक्षित रखने के लिए अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के जरिये पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 66/2020 अनवान जेठूसिंह व अन्य बनाम भोमसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 मार्च 2022 यथावत रखा जाकर अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर